राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

तारीख हुक्म	विविध प्रार्थना क्र. 34/2014/अलवर हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज मै० ताम्र धातु उद्योग प्रा लि (भिवाड़ी) V/s CTO AE राज जोन II Jaipur	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए

26/03/2014

खण्ड पीठ,केम्प–जयपुर

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

वकील प्रार्थी श्री सिद्धार्थ रांका एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री एन. के.वैद उपस्थित लेकिन श्री वैद ने इस प्रकरण में अपना अपवाद जाहिर किया। अपीलार्थी व्यवहारी को उक्त प्रकरण में दिनांक 18.12.2013 को अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कुल मांग राशि में से रू. 27,91,110/– पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा तीन माह के लिये रोक लगायी गयी थी।

श्री रांका ने इस संदर्भ में पीठ के समक्ष निवेदन किया कि अभी तक अपीलीय अधिकारी वाणिज्यिक कर अलवर द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है तथा पीठ द्वारा दिये गये स्थगन की समयावधि 18.03.2014 को समाप्त हो गयी है। उन्होने अग्रिम अभिवाक् किया कि चूंकि अपील का निस्तारण अपीलीय अधिकारी द्वारा अभी तक नहीं किया गया है अतः पूर्व में दिये गये स्थगन की अवधि बढाई जाय।

हस्तगत प्रकरण में स्थगन की अवधि एक माह यानि दिनांक 17.04.2014 बढाई जाकर सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि उक्त प्रकरण का निस्तारण आदिनांक तक नहीं किया है तो उक्त स्थगन की समयावधि दिनांक 17.04.2014 तक अपील का निस्तारण सुनिश्चित करें। यदि उक्त प्रकरण का निष्पादन आदिनांक से पूर्व हो चुका हो तो दिया गया स्थगन स्वतः निष्प्रभावी माना जावे।

26.3.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य